



पनवेल महानगरपालिका

ता. पनवेल, जि. रायगड, पनवेल - ४१० २०६

दुरध्वनी कार्यालय : ०२२- २७४५८०४० / २७४५८०४१ / २७४५८०४२

ई-मेल : panvelcorporation@gmail.com

वेबसाईट : www.panvelcorporation.com



मदत केंद्र क्र.(Help Desk no.) ९१ ९५१३२५३२३३ (वेळ सोमवार ते शनिवार सकाळी ९.०० ते सायं. ६.००)
मदत केंद्र क्र.(Help Desk no.) ०२२-२७४५८०४२ / ०२२-२७४५८०४१
(वेळ सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.४५ ते सायं. ६.१५)

पनवेल महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट - 'अ' ते गट - 'ड' मधील रिक्त असणारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी जाहिरात या कार्यालयाचे जा.क्र.पमपा/आस्था/२९२३/प्र.क्र.१३/६६२/२३, दिनांक १२/०७/२०२३ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

प्रस्तुत जाहिरातीमधील पदे ही प्रशासकीय, अभियांत्रिकी, तांत्रिक, विधी, अग्निशमन सेवा, सुरक्षा सेवा, माहिती व तंत्रज्ञान सेवा, लेखा व वित्त सेवा, उद्यान सेवा, शहर विकास सेवा, यांत्रिकी सेवा, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, क्रिडा सेवा, निमवैद्यकीय सेवा, पशु वैद्यकीय सेवा, लेखापरिक्षण सेवा, इत्यादी सेवेमधील आहेत. त्यामुळे तुलनात्मक स्पर्धा होण्यासाठी पुरेसे उमेदवार असणे आवश्यक आहे. तसेच प्रस्तुत भरतीसाठी पुरेसा प्रतिसाद प्राप्त होण्याकरिता जाहिरात देण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर निवेदनाद्वारे कळविण्यात येते की, जाहिरात क्र. ०१/२०२३ नुसार गट 'अ' ते गट 'ड' मधील एकूण ३७७ पदांकरिता अर्ज करण्याचा कालावधी दिनांक १३/०७/२०२३ पासून ते दिनांक १७/०८/२०२३ रोजी पर्यंत आहे. इच्छुक उमेदवारांनी १. www.panvelcorporation.com २. <https://mahadma.maharashtra.gov.in> या संकेतस्थळांवर दिनांक १७/०८/२०२३ या दिवशी रात्री ११.५५ वाजेपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत. उपरोक्त जाहिरातीच्या अनुषंगाने रिक्त पदांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

| अ.क्र. | पदनाम | वेतनश्रेणी (७ वा वेतन) | पद संख्या |
|--------|--|---------------------------|-----------|
| १ | माता व बाल संगोपन अधिकारी, गट-अ | एस-२० : ५६१००-१७७५०० | १ |
| २ | क्षयरोग अधिकारी, गट-अ | एस-२० : ५६१००-१७७५०० | १ |
| ३ | हिक्ताप अधिकारी, गट-अ | एस-२० : ५६१००-१७७५०० | १ |
| ४ | वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ | एस-२० : ५६१००-१७७५०० | ५ |
| ५ | पशुशाल्य चिकित्सक (व्हेटर्नरी ऑफिसर), गट-अ | एस-२० : ५६१००-१७७५०० | १ |
| ६ | महापालिका उप सचिव, गट-ब | एस-१५:४१८००-१३२३०० | १ |
| ७ | महिला व बाल कल्याण अधिकारी, गट-ब | एस-१५:४१८००-१३२३०० | १ |
| ८ | माहिती व जनसंपर्क अधिकारी, गट-ब | एस-१५:४१८००-१३२३०० | १ |
| ९ | सहा. नगररचनाकार, गट-ब | एस-१५:४१८००-१३२३०० | २ |
| १० | सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब | एस-१५:४१८००-१३२३०० | १ |
| ११ | उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी - गट-ब | एस-१५:४१८००-१३२३०० | १ |
| १२ | उप अग्निशमन केंद्र अधिकारी, गट-क | एस-१३:३५४००-११२४०० | ४ |
| १३ | प्रमुख अग्निशमन विमोचक, गट-क | एस-१०:२९२००-९२३०० | ८ |
| १४ | अग्निशामक, गट-क | एस-७:२१७००-६९१०० | ७२ |
| १५ | चालक यंत्र चालक, गट-क | एस-१०:२९२००-९२३०० | ३१ |
| १६ | औषध निर्माता, गट-क | एस-१४:३८६००-१२२८०० | १ |

| अ.क्र. | पदनाम | वेतनश्रेणी (७ वा वेतन) | पद संख्या |
|--------|---|---------------------------|-----------|
| १७ | सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका (पी.एच.एन), गट-क | एस-१३:३५४००-११२४०० | २ |
| १८ | अधि. परिचारिका (जी.एन.एम), गट-क | एस-१३:३५४००-११२४०० | ७ |
| १९ | परिचारिका (ए.एन.एम), गट-क | एस-१०:२९२००-९२३०० | २५ |
| २० | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), गट-क | एस-१४:३८६००-१२२८०० | ७ |
| २१ | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), गट-क | एस-१४:३८६००-१२२८०० | ६ |
| २२ | कनिष्ठ अभियंता (संगणक), गट-क | एस-१४:३८६००-१२२८०० | १ |
| २३ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), गट-क | एस-१४:३८६००-१२२८०० | १६ |
| २४ | कनिष्ठ अभियंता (हार्डवेअर नेटवर्कींग) गट-क | एस-१४:३८६००-१२२८०० | १ |
| २५ | सर्व्हेअर/भूमापक, गट-क | एस-८:२५५००-८११०० | ४ |
| २६ | आरेखक (ड्राफ्ट्समन/स्थापत्य/तांत्रिक), गट-क | एस-८:२५५००-८११०० | ३ |
| २७ | सहायक विधी अधिकारी, गट-क | एस-१४:३८६००-१२२८०० | १ |
| २८ | कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी, गट-क | एस-१३:३५४००-११२४०० | १ |
| २९ | सहायक क्रीडा अधिकारी, गट-क | एस-१३:३५४००-११२४०० | १ |
| ३० | सहायक ग्रंथपाल, गट-क | एस-६:१९९००-६३२०० | १ |
| ३१ | स्वच्छता निरीक्षक, गट-क | एस-८:२५५००-८११०० | ८ |
| ३२ | लघु लिपिक टंकलेखक, गट-क | एस-१०:२९२००-९२३०० | २ |
| ३३ | लघु लेखक (निम्नश्रेणी) (इंग्रजी/मराठी) गट-क | एस-१३:३५४००-११२४०० | १ |
| ३४ | कनिष्ठ लिपिक (लेखा), गट-क | एस-६:१९९००-६३२०० | ५ |
| ३५ | कनिष्ठ लिपिक (लेखा परिक्षण), गट-क | एस-६:१९९००-६३२०० | ३ |
| ३६ | लिपिक टंकलेखक, गट-क | एस-६:१९९००-६३२०० | ११८ |
| ३७ | वाहनचालक (जड), गट-क | एस-७:२१७००-६९१०० | १० |
| ३८ | वाहनचालक (हलके), गट-क | एस-६:१९९००-६३२०० | ९ |
| ३९ | व्हॉलमन / कि-किपर, गट-क | एस-६:१९९००-६३२०० | १ |
| ४० | उद्यान पर्यवेक्षक, गट-क | एस-१४:३८६००-१२२८०० | ४ |
| ४१ | माळी, गट-ड | एस-१:१५०००-४७६०० | ८ |

ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी वेळापत्रक

| अ.क्र. | तपशील | दिनांक |
|--------|--|---|
| १) | ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज नोंदणी सुरु होण्याचा दिनांक | १३/०७/२०२३ |
| २) | ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक | १७/०८/२०२३ |
| ३) | ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरणेचा अंतिम दिनांक | १७/०८/२०२३ |
| ४) | परीक्षेसाठी ऑनलाईन प्रवेशपत्र उपलब्ध होण्याचा दिनांक | परीक्षेच्या ०७ दिवस आधी |
| ५) | ऑनलाईन परीक्षेचा दिनांक | पनवेल महानगरपालिकेच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध असेल. |

* परीक्षेचा दिनांक, वेळ व केंद्र, प्रवेशपत्रामध्ये नमूद केला जाईल. संभाव्य बदलाबाबत वेळोवेळी पनवेल महानगरपालिकेच्या www.panvelcorporation.com या संकेत स्थळावर माहिती प्रसारित केली जाईल.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत इत्यादी बाबतचा तपशिल व ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी खालील संकेत स्थळावर भेट देण्यात यावी. तसेच संवर्गानिहाय भरावयाची पदे, पदांचा तपशिल, वेतनश्रेणी, वयोमर्यादा / वयोमर्यादा शिथिलता, निवड पद्धत, सर्व साधारण सूचना, अटी व शर्ती, शैक्षणिक अर्हता, सामाजिक व समांतर आरक्षण तसेच आरक्षणाबाबत तरतूदी, पदनिहाय ऑनलाईन परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षा शुल्क, अर्ज भरणेबाबत मार्गदर्शक सूचना इत्यादी बाबतचा तपशिल खालील संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

१. www.panvelcorporation.com
२. <https://mahadma.maharashtra.gov.in>

जा.क्र. पमपा/आस्था/२९२३/प्र.क्र.१३/६६२/२३,
दिनांक : १२/०७/ २०२३
ठिकाण : पनवेल

सही/-
(गणेश देशमुख)
आयुक्त तथा प्रशासक
पनवेल महानगरपालिका

१. माता व बाल संगोपन अधिकारी, गट-अ (अराजपत्रित)

Reproductive & Child Health Officer, Group A (Non-Gazetted)

| जात प्रवर्ग | अ.ज. ा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|---------|------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S२०:५६१००-१७७५००

२. पात्रता व अर्हता -

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची MBBS व जन औषध वैद्यक शास्त्र पदव्युत्तर पदवी (M.D. in P.S.M/ कम्युनिटी मेडिसिन) किंवा MBBS व DPH पदवीकाधारक किंवा स्त्री रोग व प्रसूती शास्त्र पदव्युत्तर पदवी MBBS व (M.D.OBGY) किंवा MBBS व DGO पदवीकाधारक.
- महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिल अधिनियम अंतर्गत वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक.
- राज्य/केंद्र शासन/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक.

२. क्षयरोग अधिकारी, गट-अ (अराजपत्रित)

Tuberculosis officer, Group A (Non Gazetted)

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज. | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S२०:५६१००-१७७५००

२. पात्रता व अर्हता -

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची, MBBS व जन औषध वैद्यक शास्त्र पदव्युत्तर पदवी (M.D in P.S.M/ कम्युनिटी मेडिसिन) किंवा MBBS व DPH पदवीकाधारक किंवा MBBS व M.D (T.B & Chest Diseases) किंवा MBBS व M.D मेडिसिन किंवा MBBS व D.N.B पदवीका (T.B & Respiratory Diseases) अर्हता धारण करणारा उमेदवार.
- महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिल अधिनियम अंतर्गत वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक.
- राज्य/केंद्र शासन/ निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

३. हिवताप अधिकारी, गट-अ (अराजपत्रित)

Malaria Officer, Group A (Non Gazetted)

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | - | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S २०:५६१००-१७७५००

२. पात्रता व अर्हता -

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची MBBS व जन औषध वैद्यक शास्त्र पदव्युत्तर पदवी (M.D in P.S.M/ कम्प्युनिटी मेडिसिन) किंवा MBBS व DPH पदवीकाधारक.
- महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिल अधिनियम अंतर्गत वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक.
- रुग्णालयीन प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी सक्षमपणे हाताळण्याचा व विशेषतः स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ आजार निर्मुलन कार्यक्रम, हिवताप नियंत्रण इत्यादी कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

४. वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (अराजपत्रित)

Medical Officer, Group A (Non Gazetted)

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|--------------------------------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-५ | १ | - | - | - | - | - | १ | - | - | ३ | ५ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | - | - | - | - | १ | - | - | २ | ४ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | १ पद - OA, OL, BL, LC, Dw, AAV | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S २०:५६१००-१७७५००

२. पात्रता व अर्हता -

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक पदवी (M.B.B.S) व महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिल अधिनियम अंतर्गत वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक.
- शासकीय /निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

५. पशुशल्य चिकित्सक (व्हेटर्नरी ऑफिसर), गट-अ (अराजपत्रित)

Veterinary Officer, Group A (Non Gazetted)

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S२०:५६१००-१७७५००

२. पात्रता व अर्हता -

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुवैद्यकीय शास्त्रातील पदवी.
- शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी नामवंत संस्थेतील संबंधित पशुवैद्यकीय अधिकारी या पदाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

६. महापालिका उप सचिव, गट- ब (अराजपत्रित)

Municipal Deputy Secretary, Group B (Non Gazetted)

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१५:४१८००-१३२३००

२. पात्रता व अर्हता -

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी.
- शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रशासकीय कामकाजाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

७. महिला व बाल कल्याण अधिकारी, गट- ब (अराजपत्रित)

Women and Child Welfare Officer, Group B (Non Gazetted)

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | - | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१५:४१८००-१३२३००

२. पात्रता व अर्हता -

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाजसेवा /विधि/मानसशास्त्र/गृह विज्ञान किंवा पोषण विज्ञान शाखेमधील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण.
- शासकीय/निमशासकीय संस्थांमधील प्रशासकीय कामकाजाचा ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

८. माहिती व जनसंपर्क अधिकारी, गट- ब (अराजपत्रित)

Public Relations Officer, Group B (Non Gazetted)

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | - | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१५:४१८००-१३२३००

२. पात्रता व अर्हता -

- पत्रकारिता व जनसंज्ञापन (Journalism & Mass Communication) मधील पदवी आवश्यक.
- शासनमान्य संस्थेमधील संबंधित कामकाजाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
- उमेदवाराला मराठी, इंग्रजी व हिंदी भाषांचे ज्ञान असणे आवश्यक.

९. सहा. नगररचनाकार, गट- ब (अराजपत्रित)

Assistant Town Planner, Group B (Non Gazetted)

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-२ | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | २ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | २ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१५:४१८००-१३२३००

२. पात्रता व अर्हता -

- शासन मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सिव्हील इंजिनअरींगची पदवी किंवा सिव्हील अँड रुरल इंजिनअरींग किंवा अर्बन अँड रुरल इंजिनअरींग किंवा आर्किटेक्चर किंवा कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी किंवा अर्बन प्लॅनिंगमधील पदवी उत्तीर्ण.
- शासकीय/निमशासकीय संस्था/शासनाचे अंगीकृत उपक्रम अथवा शासन नियंत्रित संस्था अथवा कंपनी अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत संस्था किंवा शासनाच्या कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदणीकृत असणाऱ्या संस्था यामध्ये, नगररचना व जमीन अथवा इमारतीचे मूल्यांकन या विषयांमधील किमान ५ वर्षांचा प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

१०. सांख्यिकी अधिकारी, गट- ब (अराजपत्रित)

Statistics Officer, Group B (Non Gazetted)

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|------|-----|-----------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१५:४१८००-१३२३००

२. पात्रता व अर्हता -

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सांख्यिकी विषयासह पदवी.
- संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव असल्यास प्राधान्य.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

११. उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गट-ब

Deputy Chief Fire Officer, Group-B

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा - १ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१५:४१८००-१३२३००

२. पात्रता व अर्हता-

अ) शैक्षणिक पात्रता :-

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचे कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा.
- राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station Officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा १ वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K.) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade – I ही पदवी प्राप्त केलेली असावी.
- महानगरपालिका/ नगरपालिका/ विशेष नियोजन प्राधिकरण/ शासकीय /निमशासकीय अग्निशमन सेवेमध्ये उपअग्निशमन केंद्र अधिकारी किंवा समकक्ष पदावरील किमान ६ वर्षे कामाचा अनुभव आवश्यक आहे.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

ब) किमान शारीरिक पात्रता :-

- उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.)
- छाती- साधारण ८१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.)
- वजन- ५० कि.ग्रॅ.(महिला उमेदवारांचे वजन ४६ कि.ग्रॅ)
- दृष्टी- चांगली.(विना चष्म्याने दृष्टी -६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली).

क) वयोमर्यादा :-

- उमेदवाराचे वय ४० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये.

१२. उप अग्निशमन केंद्र अधिकारी, गट-क

Semi Fire Station Officer, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-४ | १ | - | १ | - | - | - | १ | - | - | १ | ४ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | १ | - | - | - | १ | - | - | १ | ४ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१३:३५४००-११२४००

२. पात्रता व अर्हता-

अ) शैक्षणिक पात्रता :-

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा.
- राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station Officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा १ वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K.) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade — I ही पदवी प्राप्त केलेली असावी.
- महानगरपालिका/ नगरपालिका/ विशेष नियोजन प्राधिकरण/ शासकीय /निमशासकीय अग्निशमन सेवेमध्ये अग्निशमन प्रणेता/चालक-यंत्रचालक किंवा समकक्ष पदावरील किमान ३ वर्षे कामाचा अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

ब) किमान शारीरिक पात्रता :-

- उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.)
- छाती- साधारण ८१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.)
- वजन- ५० कि.ग्रॅ.(महिला उमेदवारांचे वजन ४६ कि.ग्रॅ.)
- दृष्टी- चांगली.(विना चष्म्याने दृष्टी -६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली).

क) वयोमर्यादा :-

- उमेदवाराचे वय ४० वर्षापेक्षा जास्त असू नये.

१३. प्रमुख अग्निशमन विमोचक, गट-क

Leading Fireman, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-८ | १ | - | १ | - | १ | - | २ | - | - | ३ | ८ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | १ | - | १ | - | २ | - | - | २ | ७ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१०:२१२००-१२३००

२. पात्रता व अर्हता-

अ) शैक्षणिक पात्रता :-

- महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण.
- राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांचा ६ महिने कालावधीचा अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करणे आवश्यक.
- महानगरपालिका/नगरपालिका/विशेष नियोजन प्राधिकरण/ शासकीय/ निमशासकीय अग्निशमन सेवेमध्ये अग्निशामक (Fireman) किंवा समकक्ष पदावरील किमान ३ वर्षे कामाचा अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

ब) शारीरिक पात्रता :-

- उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.)
- छाती- साधारण ८१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.)
- वजन- ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे वजन ४६ कि.ग्रॅ.)
- दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी -६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली).

क) वयोमर्यादा :-

- उमेदवाराचे वय ३० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये.

१४. अग्निशामक, गट-क

Fireman, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-७२ | ९ | ६ | २ | ३ | २ | १ | १४ | १ | ७ | २७ | ७२ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | ४ | ३ | २ | २ | २ | १ | ५ | १ | ४ | १० | ३४ |
| महिला ३०% | ३ | २ | - | १ | - | - | ४ | - | २ | ८ | २० |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | १ | - | - | १ | २ |
| माजी सैनिक १५% | १ | १ | - | - | - | - | २ | - | १ | ४ | ९ |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | १ | - | - | - | - | - | १ | - | - | ३ | ५ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | १ | - | - | १ | २ |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S७:२१७००-६९१००

२. पात्रता व अर्हता-

अ) शैक्षणिक पात्रता -

१. महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण.
२. राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन, यांचा ६ महिने कालावधीचा अग्निशामक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण.
३. माजी सैनिकांना त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या १२ दिवस ते ३० दिवसांच्या प्रशिक्षण प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना नियुक्ती देण्यास पात्र ठरवून त्यांना राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्रात ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल व समाधानकारक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच त्यांना नियुक्ती देण्यात येईल.
४. मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

ब) शारीरिक पात्रता:-

१. उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.)
२. छाती- साधारण ८१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.)
३. वजन- ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे वजन ४६ कि.ग्रॅ.)
४. दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी -६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली).

क) वयोमर्यादा :-

१. उमेदवाराचे वय ३० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये.

१५. चालक यंत्र चालक, गट-क (अग्निशमन सेवा)

Driver cum Operator, Group C (Fire Services)

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-३१ | ४ | २ | १ | १ | १ | १ | ५ | १ | ३ | १२ | ३१ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | ३ | २ | १ | १ | १ | १ | ३ | १ | २ | ६ | २१ |
| महिला ३०% | १ | - | - | - | - | - | १ | - | १ | ३ | ६ |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | १ | - | - | २ | ३ |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | - | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | १ पद | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१०:२९२००-९२३००

२. पात्रता व अर्हता-

अ) शैक्षणिक अर्हता :-

१. महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण.
२. राष्ट्रीय / राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन यांचा ६ महिने कालावधीचा अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करणे आवश्यक.
३. वैध जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक.
४. मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

ब) शारीरिक पात्रता :-

१. उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.)
२. छाती- साधारण ८१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.)
३. वजन- ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे वजन ४६ कि.ग्रॅ.)
४. दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी -६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली).

क) वयोमर्यादा :-

१. उमेदवाराचे वय ३० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये.

१६. औषध निर्माता, गट-क

Pharmacist, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१४:३८६००-१२२८००

२. पात्रता व अर्हता -

- शासन मान्यताप्राप्त विद्यापिठातून बी.फार्म पदवी उत्तीर्ण असावा.
- महाराष्ट्र फार्मसी कौन्सिलचे नोंदणी प्रमाणपत्र महाराष्ट्र फार्मसी अॅक्ट १९४८ नुसार वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक.
- संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

१७. सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका (पी.एच.एन), गट-क

Public Health Nurse, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-२ | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | २ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | २ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१३:३५४००-११२४००

२. पात्रता व अर्हता -

- महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण आणि सामान्य परिचर्या व प्रसविका प्रशिक्षण (G.N.M) उत्तीर्ण.
- बी. एस.सी. नर्सिंग उमेदवारास प्राधान्य.
- शासन मान्यताप्राप्त संस्थेचा पब्लिक हेल्थ नर्स (P.H.N) पदवीका धारण केलेला असावा.
- महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अधिनियम अंतर्गत वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
- शासकीय / निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

१८. अधि. परिचारिका (जी.एन.एम), गट-क

Staff Nurse (General Nursing Midwifery), Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|-----------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-७ | १ | - | १ | - | १ | - | १ | - | - | ३ | ७ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | १ | - | १ | - | १ | - | - | २ | ६ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | १ पद - LV | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१३:३५४००-११२४००

२. पात्रता व अर्हता -

- महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण करून महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची जनरल नर्सिंग व मिडवाईफरी पदविका G.N.M धारक असावा.
- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी (नर्सिंग) या विषयाचा पदवी धारक उमेदवारास प्राधान्य.
- महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलचे वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक.
- परिचारिका म्हणून शासकीय / निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

१९. परिचारिका (ए.एन.एम), गट-क

Auxiliary Nursing Midwifery, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|---------------------------------------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-२५ | ३ | २ | १ | १ | १ | १ | ५ | - | २ | ९ | २५ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | २ | २ | १ | १ | १ | १ | ३ | - | २ | ६ | १९ |
| महिला ३०% | १ | - | - | - | - | - | १ | - | - | २ | ४ |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | १ | - | - | १ | २ |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | १ पद - LV + १ पद SLD, MI = एकूण २ पदे | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | १ पद | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१०:२९२००-९२३००

२. पात्रता व अर्हता -

- महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण करून शासन मान्यताप्राप्त संस्थेचा A.N.M अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा.
- महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक.
- संबंधित पदाच्या कामाचा २ वर्षांचा अनुभव असल्यास प्राधान्य.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

२०. कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), गट-क

Junior Engineer (Mechanical), Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-७ | - | - | १ | - | १ | - | २ | - | - | ३ | ७ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | १ | - | १ | - | २ | - | - | २ | ६ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१४:३८६००-१२२८००

२. पात्रता व अर्हता -

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची यांत्रिकी अभियांत्रिकी शाखेची पदवी.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

२१. कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), गट-क

Junior Engineer (Electrical), Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-६ | १ | - | १ | - | १ | - | १ | - | - | २ | ६ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | १ | - | १ | - | १ | - | - | २ | ६ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१४:३८६००-१२२८००

२. पात्रता व अर्हता-

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत अभियांत्रिकी शाखेची पदवी.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

२२. कनिष्ठ अभियंता (संगणक), गट-क

Junior Engineer (Computer), Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | - | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१४:३८६००-१२२८००

२. पात्रता व अर्हता -

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिकीमधील पदवी (B.E.Computer/I.T. किंवा B.Tech Computer/I.T.)
- प्रोग्रामिंग/सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमधील किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

२३. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), गट-क

Junior Engineer (Civil), Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव व पदे | एकूण पदे |
|--|----------------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|----------|
| जागा-१६ | २ | १ | १ | - | १ | १ | ३ | - | १ | ६ | १६ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | २ | १ | १ | - | १ | १ | २ | - | १ | ३ | १२ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | १ | - | - | २ | ३ |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | १ पद - SLD, MI | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१४:३८६००-१२२८००

२. पात्रता व अर्हता-

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पदवी.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

२४. कनिष्ठ अभियंता (हार्डवेअर / नेटवर्कींग) गट-क

Junior Engineer (Hardware / Networking), Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१४:३८६००-१२२८००

२. पात्रता व अर्हता -

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिकीमधील पदवी (B.E.Computer/I.T. किंवा B.Tech Computer/I.T.)
- संगणक देखभाल व दुरुस्तीचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

२५. सर्व्हेअर/भूमापक, गट-क

Surveyor, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-४ | १ | - | १ | - | - | - | १ | - | - | १ | ४ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | १ | - | - | - | १ | - | - | १ | ४ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S८:२५५००-८११००

२. पात्रता व अर्हता-

- मान्यताप्राप्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेतील स्थापत्य-अभियांत्रिकी पदवीका (Diploma in Civil Engineering) धारण करणे आवश्यक किंवा माध्यमिक शांलांत परिक्षा उत्तीर्ण केल्यावर मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे दोन वर्षांचे सर्वेक्षक व्यवसायाचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे.
- मराठी टंकलेखन ३० शब्द प्रतिमिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखन ४० शब्द प्रतिमिनिट गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक. अन्यथा सदरची अर्हता पूर्ण केलेली नसल्यास अशा उमेदवाराने सदर अर्हता नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षांच्या आत प्राप्त करणे आवश्यक राहिल, अर्हता धारण न केल्यास उमेदवार सेवा समाप्तीस पात्र राहिल.
- या पदावर नियुक्त झालेल्या उमेदवारास परिविक्षाधीन कालावधीत, विहित केलेले भूमी अभिलेख प्रशिक्षण प्रबोधिनी, औरंगाबाद येथील प्रशिक्षण पूर्ण करणे तसेच या पदासाठी विहित सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहिल.

२६. आरेखक (ड्राफ्ट्समन/स्थापत्य/तांत्रिक), गट-क

Draftsman (Civil), Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-३ | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | १ | ३ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | १ | ३ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | - | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S८:२५५००-८११००

२. पात्रता व अर्हता-

१. महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण.
२. शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे आरेखक व तत्सम समतुल्य अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक.
३. मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

२७. सहायक विधी अधिकारी, गट-क

Assistant Law Officer, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | - | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१४:३८६००-१२२८००

२. पात्रता व अर्हता-

१. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधि शाखेची पदवी.
२. विधि शाखेची पदव्युत्तर पदवी असल्यास प्राधान्य.
३. शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील न्यायालयीन कामाशी संबंधित ३ वर्षांचा अनुभव किंवा उच्च न्यायालयातील किंवा त्यांच्या अधिपत्याखालील इतर न्यायालयातील ३ वर्ष वकिलीचा अनुभव आवश्यक.
४. मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

२८. कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी, गट-क

Junior Security Officer, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१३:३५४००-११२४००

२. पात्रता व अर्हता-

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी.
- किमान शारीरिक पात्रता- उंची-१६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ से.मी), वजन ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे वजन किमान ४५ कि.ग्रॅ.), छाती ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.), दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी -६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली).
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

२९. सहायक क्रीडा अधिकारी, गट-क

Assistant Sports Officer, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१३:३५४००-११२४००

२. पात्रता व अर्हता-

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी.
- बी.पी.एड. (B.P.Ed.) पदवी.
- स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडियाकडील पदविका. (SAI)
- राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूस प्राधान्य देण्यात येईल.
- शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील क्रीडा क्षेत्रातील अनुभव असल्यास प्राधान्य.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

३०. सहायक ग्रंथपाल, गट-क

Assistant Librarian, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S६:१९१००-६३२००

२. पात्रता व अर्हता-

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथालय शास्त्राची (B.Lib.) पदवी.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

३१. स्वच्छता निरीक्षक, गट-क

Sanitary Inspector, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-८ | - | १ | १ | - | १ | - | २ | - | १ | २ | ८ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | १ | १ | - | १ | - | २ | - | १ | १ | ७ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | | | | | | | - | | | | |
| अनाथ १% | | | | | | | - | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S८:२५५००-८११००

२. पात्रता व अर्हता-

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आणि स्वच्छता निरीक्षक पदविका उत्तीर्ण.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

३२. लघु लिपिक टंकलेखक, गट-क

Steno - Typist, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|--|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-२ | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | २ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | २ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | १ पद- OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV | | | | | | | | | | |
| अनाथ १ % | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१०:२९२००-९२३००

२. पात्रता व अर्हता-

१. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी.

२. मराठी अथवा इंग्रजी लघुलेखनाची ८० श.प्र.मि. व मराठी टंकलेखनाची गती ३० श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० श.प्र.मि. (तत्संबंधी शासकीय परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्यक)

ज्या उमेदवाराकडे फक्त इंग्रजी लघु लेखन परिक्षा उत्तीर्ण असलेबाबत प्रमाणपत्र असेल अशा उमेदवारास मराठी लघुलेखनाची विहित गती परिक्षा, त्यास देण्यात येणाऱ्या वाढीव मुदतीमध्ये पास होणे अनिवार्य राहिल तसेच ज्या उमेदवाराकडे फक्त मराठी लघु लेखन परिक्षा उत्तीर्ण असलेबाबत प्रमाणपत्र असेल अशा उमेदवारास इंग्रजी लघुलेखनाची विहित गती परिक्षा, त्यास देण्यात येणाऱ्या वाढीव मुदतीमध्ये पास होणे अनिवार्य राहिल

३. मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

३३. लघु लेखक (निम्नश्रेणी) (इंग्रजी/मराठी), गट-क

Stenographer (Lower Grade) (English/Marathi), Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|-------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | - | | | | | | | | | | |
| अनाथ १ % | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१३:३५४००-११२४००

२. पात्रता व अर्हता-

१. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी.

२. मराठी अथवा इंग्रजी लघुलेखनाची १०० श.प्र.मि. व मराठी टंकलेखनाची गती ३० श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० श.प्र.मि. (तत्संबंधी शासकीय परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्यक)

ज्या उमेदवाराकडे फक्त इंग्रजी लघु लेखन परिक्षा उत्तीर्ण असलेबाबत प्रमाणपत्र असेल अशा उमेदवारास मराठी लघुलेखनाची विहित गती परिक्षा, त्यास देण्यात येणाऱ्या वाढीव मुदतीमध्ये पास होणे अनिवार्य राहिल तसेच ज्या उमेदवाराकडे फक्त मराठी लघु लेखन परिक्षा उत्तीर्ण असलेबाबत प्रमाणपत्र असेल अशा उमेदवारास इंग्रजी लघुलेखनाची विहित गती परिक्षा, त्यास देण्यात येणाऱ्या वाढीव मुदतीमध्ये पास होणे अनिवार्य राहिल

३. मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

३४. कनिष्ठ लिपिक (लेखा), गट-क

Junior Clerk (Accounts), Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|-----------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-५ | १ | - | १ | - | १ | - | १ | - | - | १ | ५ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | १ | - | १ | - | १ | - | - | १ | ५ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | १ पद - LV | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S६:१९९००-६३२००

२. पात्रता व अर्हता-

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी.
- मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.

३५. कनिष्ठ लिपिक (लेखा परिक्षण), गट-क

Junior Clerk (Audit), Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|--------------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-३ | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | १ | ३ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | १ | - | - | - | - | - | - | १ | ३ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | १ पद - D, HH | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S६:१९९००-६३२००

२. पात्रता व अर्हता-

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी.
- उमेदवाराने मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

३६. लिपिक टंकलेखक, गट-क

Clerk cum Typist, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|--|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-११९ | १३ | १२ | ४ | ३ | ४ | ३ | २५ | ३ | १२ | ३९ | ११८ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | ४ | ४ | ३ | २ | ३ | २ | ८ | २ | २ | १२ | ४२ |
| महिला ३०% | ४ | ४ | १ | १ | १ | १ | ८ | १ | ४ | ११ | ३६ |
| खेळाडू ५% | १ | १ | - | - | - | - | १ | - | १ | २ | ६ |
| माजी सैनिक १५% | २ | १ | - | - | - | - | ४ | - | २ | ६ | १५ |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | १ | १ | - | - | - | - | ३ | - | २ | ५ | १२ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | १ | १ | - | - | - | - | १ | - | १ | २ | ६ |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| दिव्यांग ४% | (अ) B, LV - १ पद, (ब) D, HH - १ पद, (क) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy- २ पदे, (ड) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI - १ पद, एकूण - ५ पदे | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | १ पद | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S६:१९१००-६३२००

२. पात्रता व अर्हता-

- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी.
- मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० श.प्र.मि. वेग मर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

३७. वाहनचालक (जड वाहन), गट-क

Driver (Heavy Vehicle), Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१० | १ | १ | - | १ | - | - | २ | - | १ | ४ | १० |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | १ | - | १ | - | - | २ | - | १ | ३ | ९ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | - | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S७:२१७००-६९१००

२. पात्रता व अर्हता-

- महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण.
- जड वाहन चालविण्याचा RTO वैध परवाना व बॅज असणे आवश्यक.
- परवाना मिळाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
- वाहनदुरुस्ती देखभालीचे कामासंबंधी प्रशिक्षणाचे शासन मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेचे प्रमाणपत्र धारकास प्राधान्य.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

३८. वाहनचालक (हलके वाहन), गट-क
Driver (Light Vehicle), Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-९ | १ | १ | १ | - | १ | - | २ | - | १ | २ | ९ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | १ | १ | - | १ | - | २ | - | १ | २ | ९ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | - | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S६:१९९००-६३२००

२. पात्रता व अर्हता-

१. महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण.
२. हलके वाहन चालविण्याचा RTO वैध परवाना व बॅज आवश्यक.
३. परवाना मिळाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
४. मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.
५. वाहनदुरुस्ती देखभालीचे कामासंबंधी प्रशिक्षणाचे शासन मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेचे प्रमाणपत्र धारकास प्राधान्य.

३९. व्हॉलमन / कि-किपर, गट-क
Volveman / Key- Keeper, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|--|------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गानिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | - | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S६:१९९००-६३२००

२. पात्रता व अर्हता-

१. महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण.
२. शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ कारागीर या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र.
३. संबंधित कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य.
४. मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

४०. उद्यान पर्यवेक्षक, गट-क

Garden Supervisor, Group C

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|-------------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-४ | १ | - | १ | - | - | - | १ | - | - | १ | ४ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | १ | - | - | - | १ | - | - | १ | ४ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | १ पद- D, HH | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१४:३८६००-१२२८००

२. पात्रता व अर्हता-

- मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी.एस्सी. (हॉर्टिकल्चर्स) अंग्रीकल्चर/ फॉरेस्ट्री पदवी/मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती शास्त्रातील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

४१. माळी, गट-ड

Gardener, Group D

| जात प्रवर्ग | अ.जा | अ.ज | वि.जा (अ) | भ.ज (ब) | भ.ज (क) | भ.ज (ड) | इ.मा.व. | वि.मा.प्र | आ.दु.घ. (EWS) | अराखीव पदे | एकूण पदे |
|---|-------------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|------------|----------|
| जागा-८ | १ | - | १ | - | १ | - | २ | - | - | ३ | ८ |
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. | | | | | | | | | | | |
| सर्वसाधारण | १ | - | १ | - | १ | - | २ | - | - | २ | ७ |
| महिला ३०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | १ | १ |
| खेळाडू ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माजी सैनिक १५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पदवीधर अंशकालीन १०% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भूकंपग्रस्त २% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग ४% | १ पद- D, HH | | | | | | | | | | |
| अनाथ १% | - | | | | | | | | | | |

१. वेतनश्रेणी - S१:१५०००-४७६००

२. पात्रता व अर्हता-

- महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण.
- कृषी विद्यापीठाने निर्धारित केलेला माळी व्यवसायाचा १ वर्षाचा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होणे आवश्यक.
- मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

टिप :-

- वर नमूद केलेल्या पदसंख्या व आरक्षणांमध्ये वाढ, घट अथवा बदल होण्याची शक्यता आहे.
- सदरची परीक्षा स्थगित करणे, रद्द करणे, अंशतः बदल करणे, पदांच्या एकूण संख्येमध्ये बदल करण्याचा अधिकार नियुक्ती प्राधिकारी यांनी राखून ठेवला आहे.

परीक्षा शुल्क :-

| गट | आकारण्यात येणारे शुल्क | |
|--------------|------------------------|---------------------------------|
| | खुला प्रवर्ग | मागास प्रवर्ग व अनाथ प्रवर्ग |
| गट 'अ' व 'ब' | ₹१,०००/- | ₹९००/- |
| गट क | ₹८००/- | ₹७००/- |
| गट ड | ₹६००/- | ₹५००/- |

सर्वसाधारण सूचना

- संबंधित पदाच्या/परीक्षेच्या जाहिरात / अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या सर्व सूचनांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करूनच अर्ज सादर करावा अर्जांमध्ये दिलेल्या माहितीच्या आधारेच पात्रता ग्राह्य धरली जाईल व त्याच्या आधारे निवड प्रक्रिया पूर्ण होईल.
- अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांस प्राथमिक छाननीच्या आधारे परीक्षेस बसण्याची परवानगी देण्यात येईल. त्यामुळे उमेदवार परीक्षा उत्तीर्ण झाला तरी आवश्यक ती शैक्षणिक व इतर अर्हता असल्याशिवाय व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय निवडीस पात्र राहणार नाही. केवळ परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यामुळे उमेदवारांस निवडीचा कोणताही हक्क प्राप्त होणार नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी पात्रतेच्या अटी अभ्यासूनच अर्ज करावा.
- महिला उमेदवारांनी त्यांच्या नावात काही बदल असल्यास (लग्नापूर्वीचे नाव, लग्नानंतरचे नाव) त्यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे विवाह नोंदणी दाखला सादर करणे आवश्यक आहे.
- पत्रव्यवहारासाठी स्वतःचा पत्ता इंग्रजीमध्ये लिहावा. व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्र, स्वयं अध्ययन मार्गदर्शन केंद्र / वर्ग अथवा तत्सम स्वरूपाच्या कोणत्याही मार्गदर्शक केंद्राचा / संस्थेचा पत्ता पत्रव्यवहारासाठी देऊ नये.
- अर्जांमध्ये दिलेली माहिती व मूळ कागदपत्रे तपासणी दरम्यान काही कागदपत्रे संशयास्पद वाटली अथवा सादर केलेल्या कागदपत्रांतील माहिती व मूळ अर्जांतील माहिती यामध्ये फरक आढळून आल्यास अर्जांमध्ये भरलेली माहिती खोटी आहे असे समजण्यात येईल. तसेच उमेदवार अर्जांमधील माहिती संदर्भातील कागदपत्रे पुरावे सादर करू न शकल्यास उमेदवाराची निवड रद्द करण्यात येईल.
- वय, शैक्षणिक अर्हता, मागासवर्ग/क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, दिव्यांग, महिला, माजी सैनिक, अनाथ, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, अंशकालीन कर्मचारी, खेळाडू, अनुभव पात्रता व ज्या दिव्यांग उमेदवारास मदतनीस घ्यावयाचा आहे इत्यादी बाबत न चुकता अर्जांमध्ये स्पष्टपणे/निर्विवादपणे दावा करणे आवश्यक आहे. अर्जांतील संबंधित रकान्यात स्पष्टपणे दावा केला नसल्यास, संबंधीत दाव्याचा विचार केला जाणार नाही. उमेदवाराने अर्ज सादर केल्यानंतर त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करता येणार नाही.
- ज्या उमेदवारांना यापूर्वी त्यांचे नाव रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राकडे सेवायोजन कार्यालय / समाज कल्याण/आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी/जिल्हा सैनिक बोर्ड/अपंग कल्याण कार्यालय इ. कार्यालयात नोंदविलेले आहे अशा उमेदवारांनी देखिल स्वतंत्ररित्या ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहिल, तसेच प्रकल्पग्रस्त, अंशकालीन इत्यादी समांतर आरक्षणांतर्गत येणाऱ्या उमेदवारांनी स्वतंत्रपणे अर्ज ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक आहे.
- प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरून अर्ज सादर करण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकास संबंधित शैक्षणिक अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे.
- अनुभवाच्या कालावधीची गणना प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरून अर्ज सादर करण्याकरीता विहित केलेल्या अंतिम दिनांकास करण्यात येईल.

वयोमर्यादा / वयोमर्यादा शिथिलता :-

१. शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र.४०४/कार्या-१२, दि.२५/०४/२०१६ नुसार सर्व उमेदवारांसाठी किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे राहिल तसेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारासाठी कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे व मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ४३ वर्षे इतकी राहिल.
२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ, दि.२९ मे, २०१९ अन्वये दिव्यांग उमेदवारांकरीता कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे इतकी राहिल .
३. सामान्य प्रशासन विभाग शुध्दीपत्र क्र.मासैक १०१०/ प्र.क्र.२७९/१०/१६-अ, दि.२०/०८/२०१० अन्वये दिव्यांग माजी सैनिकांसाठी विहित वयोमर्यादेतील सवलत, वयाची कमाल मर्यादा ४५ वर्षेपर्यंत राहिल.
४. महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. मासैक १०१०/ प्र.क्र.२७९/१०/१६-अ, दि.२०/०८/२०१० अन्वये माजी सैनिकांसाठी विहित वयोमर्यादेत सवलत- उमेदवाराच्या सशस्त्र दलात झालेल्या सेवेइतका कालावधी अधिक ३ वर्षे इतका राहिल.
५. प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त उमेदवारांकरीता कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे इतकी राहिल. (सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विकाक२२१५/प्र.क्र.३३७/१६-अ, दिनांक ०४/११/२०१६.)
६. अंशकालीन उमेदवारांकरीता कमाल वयोमर्यादा ५५ वर्षे राहिल . (सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अशंका १९१८/प्र.क्र.५०७/१६-अ, दिनांक ०२/०१/२०१९.)
७. **शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठी** शासन परिपत्रक क्र. एसआरव्ही-२००२/३७९/प्र.क्र.२२/०२/१२ दि.०१/११/२००३ मधील तरतूदीनुसार ज्या पदांकरीता काही वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे, अशा पदांकरीता सेवा प्रवेश नियमातील कमाल वयोमर्यादा + संबंधित पदास विहित केलेल्या अनुभवाचा कालावधी इतपत किंवा पदाच्या विशेषज्ञतेनुसार व आवश्यकतेनुसार मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ५० वर्षे मर्यादेपर्यंत व खुला प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ४५ वर्षे मर्यादेपर्यंत **अशी वयोमर्यादा फक्त शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकरीता विहित करण्यात येत आहे.**
८. महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३, दि.२० ऑगस्ट, २०१९ अन्वये अनाथ संवर्गामधील उमेदवारांना मागासवर्गीय प्रमाणे वय व फी मध्ये सवलत देण्यात येईल.
९. महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. सनिव २०२३/प्र.क्र.१४/कार्या-१२, दि.३/३/२०२३ नुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर-कमाल वयोमर्यादेत २ वर्षे शिथिलता अनुज्ञेय असेल.

| वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक | किमान वयोमर्यादा | कमाल वयोमर्यादा | | प्राविण्य प्राप्त खेळाडू कमाल वयोमर्यादा | दिव्यांग माजी सैनिक, भूकंपग्रस्त प्रकल्पग्रस्त कमाल वयोमर्यादा | माजी सैनिक | दिव्यांग उमेदवार कमाल वयोमर्यादा | अंशकालीन उमेदवार कमाल वयोमर्यादा |
|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | अमागास | मागासवर्गीय व अनाथ | | | | | |
| अर्ज स्विकृतीचा अंतीम दिनांक | १८ | ३८ | ४३ | ४३ | ४५ | झालेली सेवा + ३ वर्षे | ४५ | ५५ |

* उपरोक्त नमूद वयोमर्यादा ही अर्ज स्विकृतीच्या अंतिम दिनांकास विचारात घेतली जाईल.

* उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उप अग्निशमन केंद्र अधिकारी यांची कमाल वयोमर्यादा ४० वर्षे राहिल, तसेच प्रमुख अग्निशमन विमोचक, अग्निशामक व चालक यंत्र चालक यांची कमाल वयोमर्यादा ३० वर्षे राहिल व त्यामुळे अग्निशमन सेवांतर्गत सर्व पदांना कोणत्याही प्रकारची वयाची सूट अनुज्ञेय नाही. अग्निशामक या पदासाठी माजी सैनिक पात्र असल्यामुळे फक्त माजी सैनिकांना वयाबाबत सूट लागू राहिल.

पदसंख्या व आरक्षणांसंदर्भात सर्वसाधारण तरतूदी :-

१. भरावयाच्या उपरोक्त संवर्ग पदांचे सामाजिक / समांतर आरक्षण तसेच वर नमूद केलेली पदसंख्या व आरक्षणामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
२. पदसंख्या व आरक्षणामध्ये बदल झाल्यास याबाबतची माहिती / बदल वेळोवेळी पनवेल महानगरपालिकेच्या www.panvelcorporation.com या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
३. विविध मागास प्रवर्ग, महिला, प्राविण्य प्राप्त खेळाडू, अनाथ इत्यादीसाठी सामाजिक व समांतर आरक्षण शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशानुसार राहिल .
४. महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय क्र. महिला २०२२/प्र.क्र.१२३/कार्या-२, दिनांक ०४ मे, २०२३ अन्वये खुला प्रवर्ग तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करू इच्छिणाऱ्या महिलांना त्या त्या मागास प्रवर्गासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
५. विमुक्त जाती (अ) भटक्या जमाती (ब) भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्यावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल.
६. अर्ज करताना एखादी जात / जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केली असल्यास तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र उमेदवारांकडे उपलब्ध असेल तर संबंधित जात/जमातीचे उमेदवार आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील.
७. समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ तसेच शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.३८/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ आणि तद्नंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
८. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (ईडब्ल्यूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक आधो-४०१२/प्र.क्र.३५/१६-अ, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ व दिनांक ३१ मे, २०२१ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र, ऑनलाईन अर्ज सादर करतेवेळी सादर करणे आवश्यक राहिल.
९. नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र अद्यावत असावे तसेच ते सक्षम प्राधिकाऱ्याने वितरित केलेले व अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास वैध असणारे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
१०. सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) पदावरील निवडीकरीता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
११. अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषांसंदर्भातील अटीची पूर्तता करणाऱ्या सर्व उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारसीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जांमध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.

१२. महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक सीबीसी-१०/२०१०/प्र.क्र.४७/मावक-५, दिनांक २६ मार्च २०१० अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा (सामाजिक अथवा समांतर) अथवा सोयी सवलतीचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराकडे संबंधित कायदा / नियम / आदेशानुसार विहित नमुन्यातील प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरून अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या दिनांकापूर्वीचे जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. ज्या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसेल आणि उमेदवार नियुक्तीस पात्र झाला असेल, अशा उमेदवारांने त्याच्या जाती दाव्या प्रित्यर्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता एक महिन्याच्या आत पनवेल महानगरपालिका प्रशासनाकडे करावी. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर तात्काळ जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे कागदपत्रे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतील. संबंधित उमेदवाराच्या जातीचा दावा वैध असल्याबाबतचा समितीचा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित उमेदवारास नियुक्ती आदेश देण्यात येतील. जात पडताळणी समितीकडून ३ महिन्याचे आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. ३ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास संबंधित उमेदवार नियुक्तीस पात्र नाही, असे संबोधण्यात येईल.
१३. सामाजिक व समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
१४. विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गाचा दावा करणाऱ्या (या प्रवर्गातील महिला, खेळाडू, माजी सैनिक, अपंग, अंशकालीन कर्मचारी, स्वातंत्र्यसैनिकांचे पाल्य, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त या समांतर आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या) उमेदवारांनी उन्नत व प्रगत गटामध्ये मोडत आहेत किंवा नाही याबाबत अर्जामध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.

निवड पद्धत :

१. परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येणार आहे. परीक्षेचे ठिकाण, दिनांक व वेळ ई-मेल किंवा एस. एम. एस. (SMS) द्वारे संबंधित उमेदवारांना कळविण्यात येईल. तसेच पनवेल महानगरपालिका अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्धीस देऊन माहिती कळविण्यात येईल. त्यामुळे अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी वेळोवेळी संकेत स्थळास भेट देणे आवश्यक राहिल .
२. पदास आवश्यक असलेली अर्हता अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही.
३. वरील सर्व पदांसाठी मौखिक परीक्षा घेतली जाणार नाही. मात्र निवडसूचीतील उमेदवाराची व त्या उमेदवाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता पडताळणीसाठी (KYC Verification) मुलाखत घेतली जाईल. (मुलाखतीसाठी कोणत्याही प्रकारचे गुण देय असणार नाहीत.)
४. उमेदवारांची निवड निव्वळ गुणवत्तेच्या आधारे केली जाईल. गुणवत्ता यादीत अंतर्भाव करण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराने एकूण गुणांच्या किमान ५० % व मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवाराने एकूण गुणांच्या किमान ४५% गुण प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
५. परिक्षेनंतर पात्र उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी पनवेल महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
६. उमेदवार विशिष्ट पदावर नेमणूक होण्यास कितपत योग्य आहे आणि त्याची मानसिक क्षमता किती आहे, ते आजमावणेकरिता परीक्षेच्या वेळी विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांमध्ये इतर प्रश्नांबरोबरच ज्यासाठी अर्ज केलेला असेल त्या पदाची कर्तव्ये जबाबदा-या उमेदवाराने ज्ञानाच्या ज्या विशिष्ट क्षेत्रातील विशेषज्ञता प्राप्त केली असेल त्या क्षेत्रातील अद्ययावत घडामोडी व त्याला असलेली माहिती आणि जनतेच्या समस्या या संबंधीचे प्रश्न यांचाही समावेश असेल.
७. पात्र ठरणा-या उमेदवारांची संख्या विचारात घेऊन संभाव्य निवड क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या उमेदवारांना कागदपत्रे तपासणीकरीता पाचारण करण्यात येईल. त्याबाबतची यादी व वेळापत्रक पनवेल महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल तसेच ई-मेल अथवा मोबाईलवर मेसेजद्वारे कळविण्यात येईल.

निवडसूची ही प्रवर्ग निहाय तयार करण्यात येईल व त्यामध्ये समाविष्ट करावयाच्या उमेदवारांची संख्या पुढील प्रमाणे असेल.

| | |
|-----------------------------------|---|
| प्रवर्ग निहाय रिक्त पदांची संख्या | निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या उमेदवारांची संख्या |
| १ | ३ |
| २ ते ४ | रिक्त पदे अधिक रिक्त पदांच्या १०० टक्के किंवा ५ यापैकी जे अधिक असेल ते. |
| ५ ते ९ | रिक्त पदे अधिक रिक्त पदांच्या ५० टक्के किंवा १० यापैकी जे अधिक असेल ते. |
| १० ते ४९ | रिक्त पदे अधिक रिक्त पदांच्या ३० टक्के किंवा १५ यापैकी जे अधिक असेल ते. |
| ५० किंवा याहून अधिक | रिक्त पदे अधिक रिक्त पदांच्या २५ टक्के. |

वरील प्रमाणे अतिरिक्त उमेदवारांच्या संख्येची परिगणना करताना उमेदवारांची संख्या अपूर्णाकात येत असल्यास पुढील पूर्णांक संख्या विचारात घेण्यात येईल.

८. कागदपत्रे पडताळणीसाठी शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, जाती प्रमाणपत्र, वयाबाबतचा पुरावा, अधिवास प्रमाणपत्र, इ. बाबतची सर्व मुळ कागदपत्रे व त्याच्या प्रत्येकी दोन स्वसाक्षांकीत प्रतीसह उमेदवाराने उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. कागदपत्रे तपासणीचे वेळी उमेदवार शैक्षणिक व इतर अर्हता धारण करीत नसल्याचे आढळून आल्यास किंवा तपासणीकरिता अपूर्ण कागदपत्रे सादर केल्यास त्यास निवडीसाठी अपात्र करण्यात येईल व त्याबाबत उमेदवाराची कोणतीही तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही.
९. प्रमाणपत्र तपासणीकरीता येतेवेळी अर्जासोबत जोडलेल्या दस्तऐवजांच्या मूळ प्रती व त्याची स्वसाक्षांकित (Self Attested) छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. तसेच स्वतःच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी अर्जासोबत जोडलेला ओळखीचा पुरावा व स्वतःचे आधार कार्ड व त्याची स्वसाक्षांकित (Self Attested) छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे.
१०. पात्र ठरलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला त्याने रजिस्टर्ड केलेल्या ई-मेल व मोबाईल क्रमांकावर SMS किंवा E-mail द्वारे निवडसूची / प्रतिक्षा यादी व नियुक्ती बाबत कळविण्यात येईल. तसेच पनवेल महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
११. कृपया नोंद घ्या की, नोंदणी प्रक्रियेनंतर प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी एक लिंक विकसित केली जाते. लिंक होस्ट केल्यानंतर, उमेदवारांना ईमेल SMS द्वारे त्याबद्दल सूचित केले जाईल. उमेदवार थेट लिंकवरून त्याचे प्रवेशपत्र डाउनलोड करू शकतात. प्रवेशपत्राबाबत कोणताही वेगळा पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.
१२. निवड समितीने तयार केलेली निवडसूची १ वर्षासाठी विधीग्राह्य राहील. त्यानंतर ही निवडसूची व्यपगत होईल.

समान गुण धारण करणाऱ्या उमेदवारांची प्राधान्य क्रमवारी :

१. अ) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यास प्रथम प्राधान्य राहील.
 - ब) समान गुण प्राप्त उमेदवारांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा पाल्य नसेल अथवा वरील अनु क्र. (अ) नुसार एका पेक्षा अधिक उमेदवार समान गुण प्राप्त करीत असतील तर त्यापैकी वयाने ज्येष्ठ असलेल्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल.
 - क) वरील अनु क्र. (अ) व (ब) या दोन्ही अटींमध्ये देखील समान ठरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत, अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास उच्चतर शैक्षणिक अर्हता (पदव्युत्तर पदवीधर, पदवीधर, उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण, माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण अशा प्रकारे) धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्यक्रम देण्यात येईल.
 - ड) वरील अनु क्र. (अ), (ब) व (क) या तिन्ही अटींमध्ये देखील समान ठरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत, सदर पदाच्या सेवाप्रवेश नियमामध्ये विहित असलेल्या किमान शैक्षणिक अर्हतेमध्ये उच्चतर गुण प्राप्त उमेदवारास प्राधान्यक्रम देण्यात येईल.

२. सेवा प्रवेश नियम/ जाहिरात/अधिसूचनेमध्ये अनुभव विहित केल्याप्रमाणे, अर्ज स्विकारणाच्या अंतिम दिनांकास धारण करीत असलेल्या विहित अनुभवाचा कालावधी विचारात घेण्यात येईल.
३. वरील निकष लावूनही उमेदवारांचा गुणवत्ताक्रम समान येत असल्यास अशा उमेदवारांचा गुणवत्ताक्रम त्यांच्या आडनावाच्या आद्याक्षरानुसार निश्चित करण्यात येईल.

टीप:- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य म्हणजे शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एससीवाय १२०५/प्र.क्र.१८९/म-७, दिनांक २३ जानेवारी २००६ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीने ज्या कुटुंबास, शेतकऱ्याच्या आत्महत्याप्रकरणी मदतीसाठी पात्र ठरविले असेल अशा कुटुंबातील मृत शेतकऱ्याचा पाल्य (पत्नी /मुलगा/मुलगी) होय.

अटी व शर्ती :-

इतर सर्वसाधारण अटी / शर्ती / सूचना :

१. उमेदवार हा भारताचा नागरिक असावा. आणि महाराष्ट्रात १५ वर्षे अधिवास (Domicile) करीत असल्याबाबतचे त्याने सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र (तहसिलदार यांचे कार्यालयाकडील) किंवा महाराष्ट्रात जन्म झाल्याबाबत जन्म दाखला अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहिल. सर्वसाधारण रहिवासी या संज्ञेला भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या कलम २० अनुसार जो अर्थ आहे तसाच अर्थ असेल.
२. शैक्षणिक अर्हते व्यतिरीक्त गट-‘क’ मधील वाहन चालक (जड), वाहन चालक (हलके) व गट -‘ड’ मधील पदे वगळता गट ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ मधील सर्व पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना नेमणूकीसाठी शासन वेळोवेळी आदेश काढून निश्चित करेल, असे संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान (महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT किंवा DOEEACC सोसायटीच्या अधिकृत CCC किंवा O/A/B/C स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी), एक अतिरिक्त आवश्यक अर्हता असेल. (महाराष्ट्र शासन माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग निर्णय क्र. मातंस २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दि.०४ फेब्रुवारी, २०१३ व समान क्रमांकाचे शासन पुरकपत्र दि.०८ जानेवारी, २०१८) व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.
३. टंकलेखन प्रमाणपत्राची आवश्यकता असलेल्या पदांकरिता, उमेदवारांनी मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेग मर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. इतर कोणतेही प्रमाणपत्र अनुज्ञेय असणार नाही.
४. निवड झालेल्या उमेदवाराला नियमित तत्वावर नियुक्तीनंतर पनवेल महानगरपालिका सेवा विनियम व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, ५९ मधील तरतुदी लागू होतील.
५. निवड झालेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अनियो-१००५/सेवा-४, दि.३१/१०/२००५ नुसार नवीन अंशदान निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना/ राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (DCPS/NPS) लागू राहिल.
६. शासन निर्णय क्र.संकिर्ण/२००७/पडताळणी/नवि-२६, दि.२१/११/२००७ अन्वये, निवड झालेल्या उमेदवारांविरुद्ध कोणताही गुन्हा नोंदविलेला नाही अथवा सिध्द झालेला नाही असे चारित्र्य प्रमाणपत्र संबंधित पोलिस ठाण्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्याची/तिची सदर पदावर नेमणूक केली जाईल.
७. महाराष्ट्र नागरी सेवा, लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र नियम, २००५ (महाराष्ट्र शासनाकडील आदेश क्र. एम.आर. व्ही-२०००/प्र.क्र.१७/२०००/२०१२, दि.०१/०७/२००५)अन्वये उमेदवाराने नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.
८. उपरोक्त पदावर अंतिम निवड झाल्यावर नियुक्तीनंतर उमेदवाराची जिल्हा शल्य चिकीत्सक रायगड अलिबाग यांच्याकडून वैद्यकीय तपासणी केली जाईल व त्यामध्ये वैद्यकीयदृष्ट्या पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

९. उमेदवारांस मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, त्यास मराठी लिहिता, वाचता, बोलता येणे आवश्यक आहे.
१०. माजी सैनिक उमेदवाराने, राज्य शासनाच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील येणाऱ्या कार्यालयांकडे विहित पदांसाठी अर्ज केले असतील तर त्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/(प्र.क्र.३६४/१४)/२८, दि.०३ जून, २०१६ मधील तरतूदी लागू राहतील.
११. उमेदवाराने नोकरीसाठी केलेल्या अर्जात नमूद केलेली माहिती ही अंतिम समजण्यात येईल. अर्जातील माहिती बदलाबाबत नंतर कोणत्याही प्रकारची विनंती / अर्ज स्विकारले जाणार नाही अथवा बदल विचारात घेतले जाणार नाहीत.
१२. नियुक्तीसाठी पात्र असणाऱ्या उमेदवाराने विहित केलेली इतर बंधपत्र/प्रतिज्ञापत्र / वचनपत्र / करारपत्र इ. विशिष्ट स्वरूपात भरून दिल्याशिवाय महानगरपालिका सेवेत रूजू करून घेतले जाणार नाही.
१३. निवड प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर उमेदवाराची निवड झाल्यावर किंवा नियुक्ती दिल्यानंतर कोणत्याही क्षणी उमेदवाराने अर्जात व परीक्षेचे वेळी दिलेली माहिती अगर कागदपत्रे खोटी सादर केल्याचे किंवा खरी माहिती दडवून ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्या उमेदवारांची उमेदवारी, निवड, नियुक्ती कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल. याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार विचारात घेतला जाणार नाही.
१४. उपरोक्त पदाकरीता नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी त्यांच्या नेमणुकीच्या मूळ दिनांकापासून दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी असेल. तसेच अशा उमेदवारांचे परिविक्षाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक नसल्यास अपवादात्मक बाब म्हणून आणि तत्संबंधी कारणे नमूद करून परिविक्षाधीन कालावधी ६ महिने वाढविता येईल. तदनंतरही या वाढीव कालावधीत काम समाधानकारक नसल्यास सदर कर्मचारी/ अधिकारी यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल.
१५. भरती प्रक्रियेबाबतचे सर्व अधिकार आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका यांना असून कोणत्याही टप्प्यावर भरती स्थगित किंवा रद्द करण्याचे अधिकार आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका यांनी त्यांचेकडे राखून ठेवले आहेत.
१६. निवड झालेल्या उमेदवारास महानगरपालिकेचे निवासस्थान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही व निवासस्थान देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहणार नाही, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. ज्या पदांना निवास उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे अशा पदावर नियुक्ती झाल्यास व भविष्यात त्यांना निवासस्थान उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना दरमहा निवास भाडे अनुज्ञेय राहणार नाही.
१७. उमेदवाराने या भरती प्रक्रिये संदर्भातील माहिती व सूचना पनवेल महानगरपालिका संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार असल्याने भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कृपया www.panvelcorporation.com वरील संकेतस्थळावर उमेदवारांनी सद्यःस्थिती (updates) वेळोवेळी पहावी.
१८. उपरोक्त पदाकरीता शासनाकडील किंवा खाजगी कंपनी कडील उमेदवाराने सरळसेवा भरती प्रक्रियेत अर्ज सादर केल्यापासून निवड प्रक्रिया संपेपर्यंतच्या काळात घडणारे बदल, उदा. निलंबन, दंड, फौजदारी खटला, शिस्तभंग विषयक अथवा तत्सम कारवाई इत्यादी, वेळोवेळी कळविणे आवश्यक आहे. अर्ज सादर केल्यानंतर घडून आलेले बदल न कळविल्यास अशा उमेदवाराची, निवड/नियुक्ती रद्द करण्यात येईल.
१९. उमेदवारांनी परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये अथवा वाढीव परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा न प्राप्त केल्यास आणि किंवा विहित विभागीय परीक्षा, परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये उत्तीर्ण न केल्यास आणि अशा तऱ्हेने त्यांचे काम योग्य अथवा अनुरूप न आढळल्यास ते सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरतील.
२०. या जाहिरातीद्वारे सरळ सेवेने करण्यात येणाऱ्या नियुक्त्या तात्पुरत्या/ अस्थायी स्वरूपाच्या असतील व त्या संबंधी पदांच्या सेवा प्रवेश नियमावलीतील अटी व शर्ती व अन्य बाबींची पूर्तता केल्यानंतर नियमित करण्यात येतील.

२१. पनवेल महानगरपालिकेने वेळोवेळी घेतलेले निर्णय संबंधितावर बंधनकारक असतील.
२२. परीक्षेसाठी उपस्थित राहणाऱ्या उमेदवारांना कोणत्याही प्रकारचा प्रवासखर्च देय नाही.
२३. नियुक्तीकरीता निवड झालेले उमेदवार हे पनवेल महानगरपालिकेच्या हद्दीत कोठेही किंवा पनवेल महानगरपालिकेच्या हद्दीच्या बाहेर पनवेल महानगरपालिकेचे कार्यालय जेथे असेल तेथे किंवा पनवेल महानगरपालिका भविष्यकाळात कार्यालय सुरू करू शकेल, तेथे पदस्थापना केले जाण्यास पात्र ठरतील.
२४. सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी पनवेल महानगरपालिकेने वेळोवेळी विहित केलेले प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक राहिल.
२५. अग्निशमन सेवेतील सर्व पदांकरीता ऑनलाईन परीक्षेकरीता १०० गुण व मैदानी क्षमता चाचणी परीक्षेकरीता १०० गुण अशी एकूण २०० गुणांची परीक्षा असेल. तसेच इतर सर्व पदांकरीता २०० गुणांची ऑनलाईन परीक्षा असेल.
२६. अग्निशमन सेवेतील पदांकरीता अर्जात नमूद करण्यात आलेली शारिरीक पात्रता मैदानी चाचणीच्या वेळी तपासण्यात येईल. पदास आवश्यक असलेली किमान पात्रता प्राप्त न केल्यास उमेदवाराची उमेदवारी/निवड रद्द करण्यात येईल.
२७. कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी या पदाकरीता अर्जदाराने नमूद केलेली शारीरिक पात्रता ऑनलाईन परीक्षेनंतर नियुक्ती पूर्वी तपासण्यात येईल. पदास आवश्यक असलेली किमान पात्रता प्राप्त न केल्यास उमेदवाराची उमेदवारी/निवड रद्द करण्यात येईल.

खेळाडू आरक्षण :-

१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै २०१६, तसेच शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-१७१६/प्र.क्र.१८/क्रीयुसे-२, दिनांक ३० जून २०२२ आणि तद्नंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
२. प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिकार्याने प्रमाणित केलेले पात्र खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंवा तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे.
३. खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीच्या पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वीच सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठी आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही.
४. कागदपत्रे पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिकार्याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीचा सक्षम प्राधिकार्याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवाराचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारसी नियुक्तीकरीता विचार करण्यात येईल.
५. एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणाऱ्या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित उप संचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

पात्र क्रीडा स्पर्धा

| क्रीडा विषयक अर्हता | खेळविषयक पात्रता | |
|--|--|---|
| | वैयक्तिक स्पर्धा | सांघिक स्पर्धा |
| <p>गट-अ साठी पात्र क्रीडा स्पर्धा</p> <p>१. अधिकृत आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा :-</p> <p>I) ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा. II) एशियन्स गेम्स. III) जागतिक क्रीडा स्पर्धा. IV) एशियन चॅम्पियनशीप. V) कॉमनवेल्थ गेम्स. VI) कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशीप. VII) युथ ऑलिम्पिक. VIII) ग्रँडमास्टर (बुद्धिबळ)</p> <p>२. पॅरालिम्पिक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा :-</p> <p>I) पॅरालिम्पिक गेम्स. II) पॅरा एशियन गेम्स. III) वर्ल्ड पॅरालिम्पिक गेम्स.</p> <p>३. जागतिक आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा:-</p> <p>I) जागतिक आंतरविद्यापीठ क्रीडा बोर्डांने आयोजित केलेले खेळ.</p> <p>४. आंतरराष्ट्रीय शालेय महासंघाद्वारा आयोजित जागतिक शालेय क्रीडा स्पर्धा :- आंतरराष्ट्रीय शालेय महासंघाद्वारे आयोजित केलेले खेळ .</p> <p>५. ग्रँड मास्टर किताब (टिप- उपरोक्त नमूद अ.क्र. १,३ व ४ या क्रीडा स्पर्धांना ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पर्धांचा समावेश असलेले खेळ व बुद्धीबळ तसेच कबड्डी व खो-खो हे देशी खेळच ५% आरक्षणासाठी पात्र राहतील)</p> | <p>महाराष्ट्राच्या खेळाडूने भारताचे प्रतिनिधित्व करताना प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक / ग्रँडमास्टर किताब अथवा ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत सहभाग</p> | <p>महाराष्ट्राच्या खेळाडूचा समावेश असलेल्या भारतीय संघाने प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक</p> |
| <p>गट-ब साठी पात्र क्रीडा स्पर्धा</p> <p>गट अ पदाकरीता विहीत केलेली खेळ विषयक अर्हता धारण करणारा खेळाडू अथवा</p> <p>१. अधिकृत आंतरराष्ट्रीय कनिष्ठ गटातील :-</p> <p>I) ज्युनियर वर्ल्ड चॅम्पियशीप II) युथ कॉमनवेल्थ गेम्स III) कनिष्ठ गटातील एशियन चॅम्पियनशीप IV) कनिष्ठ गटातील कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशीप (v) आंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पर्धा (बुद्धिबळ)</p> <p>२. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा वरिष्ठ गट :-</p> <p>I) राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा. II) अधिकृत राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा (वरिष्ठ गट)</p> | <p>महाराष्ट्राच्या खेळाडूने भारताचे प्रतिनिधित्व करताना / महाराष्ट्राचे / विद्यापिठाचे प्रतिनिधित्व करताना प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक /अथवा आंतरराष्ट्रीय मास्टर किताब मिळविणे आवश्यक</p> | <p>महाराष्ट्राच्या खेळाडूचा समावेश असलेल्या भारतीय संघाने, महाराष्ट्राच्या/ विद्यापिठाचे संघाने प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक / ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत सहभाग.</p> |

| क्रीडा विषयक अर्हता | खेळविषयक पात्रता | |
|---|---|---|
| | वैयक्तिक स्पर्धा | सांघिक स्पर्धा |
| <p>३. पॅरा ऑलिम्पिक राष्ट्रीय स्पर्धा :- 1) पॅरा ऑलिम्पिक राष्ट्रीय अजिंक्य पद स्पर्धा ४. राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा . ५. राष्ट्रीय ग्रामीण व महिला क्रीडा स्पर्धा ६. अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा ७. आंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पर्धा (टिप : अ.क्र. १,२,४,५ व ६ या स्पर्धांमधील ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये समावेश असलेले खेळ व बुद्धीबळ तसेच कबड्डी व खो-खो हे देशी खेळच ५% खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र राहतील.)</p> | | |
| <p>गट-क साठी पात्र क्रीडा स्पर्धा गट-अ व गट-ब या पदाकरीता विहित केलेली खेळ विषयक अर्हता धारण करणारा खेळाडू अथवा १. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा कनिष्ठ गट 1) राष्ट्रीय ज्यूनियर गट अजिंक्यपद स्पर्धा २. राज्य स्तर वरिष्ठ क्रीडा स्पर्धा 1) राज्यस्तर वरिष्ठ गटातील अजिंक्यपद स्पर्धा ३. राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धा ४. राज्यस्तर ग्रामिण व महिला क्रीडा स्पर्धा ५. राज्यस्तर आंतरविद्यापीठ स्पर्धा (अश्वमेध) ६. राज्यस्तर आदिवासी क्रीडा स्पर्धा ७. राज्यस्तर पॅराऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा ८. राज्यस्तर अपंग क्रीडा स्पर्धा (टिप - अ.क्र.१ ते ५ मधील सर्व क्रीडा स्पर्धा मधील खेळ हे ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स आणि कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये समावेश असलेले खेळ व बुद्धिबळ तसेच कबड्डी व खो- खो हे देशी खेळच ५% खेळाडू आरक्षणासाठी असतील.)</p> | <p>राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्राचे / राज्य स्तरावर संबंधित विभाग / जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करून प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/ सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक</p> | <p>राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्राचे / राज्य स्तरावर संबंधित विभाग / जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करून संघाने प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक</p> |
| <p>गट-ड साठी पात्र क्रीडा स्पर्धा अ/ ब / क या पदाकरीता विहित केलेली खेळ विषयक अर्हता धारण करणारा खेळाडू अथवा १. राज्यस्तर कनिष्ठ गटातील अजिंक्यपद स्पर्धा</p> | <p>प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/ सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक</p> | <p>संघाने प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक</p> |

| क्रीडा विषयक अर्हता | खेळविषयक पात्रता | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | वैयक्तिक स्पर्धा | सांघिक स्पर्धा |
| २. वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धातील सहभाग | वरीष्ठ गट स्पर्धेत सहभाग | वरीष्ठ गट स्पर्धेत सहभाग |
| ३. पॅराऑलिम्पिक राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा वरिष्ठ गटातील सहभाग. (टिप - अ.क्र. १ व २ मधील सर्व क्रीडा स्पर्धांमधील खेळ हे ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स आणि कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये समावेश असलेले खेळ व बुद्धिबळ तसेच कबड्डी व खो-खो हे नमूद देशी खेळच ५% खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र असतील.) | वरीष्ठ गट स्पर्धेत सहभाग | वरीष्ठ गट स्पर्धेत सहभाग |

दिव्यांग आरक्षण:-

१. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ. दिनांक २९ मे.२०१९ तसेच या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
२. दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील. भरती करावयाच्या एकूण पदांच्या टक्केवारीवर दिव्यांग आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.

| पदनाम | कर्तव्ये/ जबाबदारी | अपेक्षित शारिरीक क्षमता / पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग | शेरा |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| वैद्यकीय अधिकारी | महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील प्रशासकीय व रुग्णांच्या उपचाराशी संबंधित कामकाज पाहणे. | S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H, C | OA, OL, BL, LC, Dw, AAV | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर साधने आणि उपकरणे यांच्या सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. |
| लघु लिपिक टंकलेखक | विभाग प्रमुख / कार्यालयीन प्रमुख / पदाधिकारी यांचे दूरध्वनी हाताळणे, श्रुतलेखन घेणे, टंकलेखन करणे इत्यादी, महानगरपालिकेच्या कार्य नियमावलीनुसार कामे करणे. | S, ST, W, L, MF, RW, SE, H, C | OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर साधने आणि उपकरणे यांच्या सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. |
| कनिष्ठ लिपिक (लेखा परिक्षण) | महानगरपालिका निहाय लेखा विषयक तसेच लेखा परिक्षण विषयक कामे करणे, महानगरपालिकेच्या कार्य नियमावलीनुसार कामे करणे. | S, ST, MF, RW, SE, C | D, HH | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर साधने आणि उपकरणे यांच्या सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. |

| पदनाम | कर्तव्ये/ जबाबदारी | अपेक्षित शारिरीक क्षमता / पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग | शेरा |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---|
| उद्यान पर्यवेक्षक | महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामधील उद्यानांची देखभाल करणे, उद्यान विभागातील उद्यान सहाय्यक, माळी यांवर नियंत्रण ठेवणे. महानगरपालिकेच्या कार्य नियमावलीनुसार कामे करणे. | S, ST, W, BN, RW, SE, H, C, MF | D, HH | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर साधने आणि उपकरणे यांच्या सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. |
| कनिष्ठ लिपिक (लेखा) | महानगरपालिकेस प्राप्त होणाऱ्या विविध रक्कमांचे कोषागारात भरणा करणे, डे-बुक / कॅश बुक अद्यावत ठेवणे, रोखपालांची दैनंदिन कामे करणे, महानगरपालिकेच्या कार्य नियमावलीनुसार कामे करणे. | S, W, MF, RW, SE, H, C | LV | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर साधने आणि उपकरणे यांच्या सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. |
| अधि. परिचारीका (जी.एन.एम.) | महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय सेवेशी सहाय्यकारी व इतर संबंधित कामे, आरोग्य मोहिमा राबविणे, महानगरपालिकेच्या कार्य नियमावलीनुसार कामे करणे. | S, ST, W, MF, RW, SE, H, C | LV | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर साधने आणि उपकरणे यांच्या सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. |
| कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | महानगरपालिकेतील स्थापत्य विषयक कामे करणे, कार्यरत क्षेत्रात विकास कामांतर्गत सर्वेक्षण करणे तसेच प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्रकल्पाचे बांधकाम संकल्प चित्रानुसार होत आहे किंवा नाही याचे देखरेख व नियंत्रण, कामांचा दर्जा तपासणे, महानगरपालिकेच्या कार्य नियमावलीनुसार कामे करणे. | S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H, C | SLD, MI | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर साधने आणि उपकरणे यांच्या सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. |
| परिचारीका (ए.एन.एम.) | महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय सेवेशी सहाय्यकारी व इतर संबंधित कामे, आरोग्य मोहिमा राबविणे, महानगरपालिकेच्या कार्य नियमावलीनुसार कामे करणे. | S, ST, W, MF, RW, SE, H, C | अ) LV, क) SLD, MI | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर साधने आणि उपकरणे यांच्या सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. |

| पदनाम | कर्तव्ये/ जबाबदारी | अपेक्षित शारिरीक क्षमता / पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग | शेरा |
|---------------|---|-----------------------------------|--|---|
| लिपिक टंकलेखक | महानगरपालिकानिहाय लिपिक संवर्गाची सर्व कर्तव्ये पार पाडणे, महानगरपालिकेच्या कार्य नियमावली नुसार कामे करणे. | S, ST, W, BN, RW, SE, H, C, MF | अ)B, LV ब) D, HH क)OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy २ पदे ड)ASD (M, MoD), ID, SLD, MI | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर साधने आणि उपकरणे यांच्या सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. |
| माळी | महानगरपालिका क्षेत्रातील उद्यानांची देखभाल करणे, महानगरपालिकेच्या कार्य नियमावली नुसार कामे करणे. | S, ST, W, BN, RW, SE, H, C, MF | D, HH | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर साधने आणि उपकरणे यांच्या सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. |

FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S= Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication

CATEGORY ABBREVIATION USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH=Hard of Hearing, OA=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD=Autism Spectrum Disorder (M=Mild, MoD=Moderate), ID=Intellectual Disability, SLD=Specific Learning Disability, MI=Mental Illness, MD=Multiple Disabilities

३. दिव्यांग व्यक्तींची संबंधित संवर्ग/पदाकरीता पात्रता शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहिल.
४. दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल.
५. दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येच्या ४% असतील.
६. संबंधित दिव्यांगत्वाच्या प्रकारचे किमान ४०% दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र धारक उमेदवार / व्यक्ती आरक्षण तसेच नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी/ सवलतीसाठी पात्र असतील.

७. लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार / व्यक्ती खालील सवलतींच्या दाव्यास पात्र असतील:-
 - (1) दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद लक्षणीय दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय आरक्षण व इतर सोयी सवलती लागू राहतील.
 - (2) दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद संबंधित दिव्यांग प्रकारासाठी सुनिश्चित केले असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी सवलती लागू राहतील.
८. लक्षणीय दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या वयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या www.swavlambancard.gov.in अथवा SADM या संगणकीय प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
९. लक्षणीय दिव्यांगत्व असणाऱ्या उमेदवारांना अर्जांमध्ये नमूद केलेला दिव्यांगत्वाचा प्रकार / उप प्रकार बदलणे अनुज्ञेय नाही.

लोकोमोटर अपंगत्व आणि सेरेब्रल पाल्सी (Locomotor Disability and cerebral palsy)

लोकोमोटर अपंगत्व आणि सेरेब्रल पाल्सी असलेल्या उमेदवारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लोकोमोटर अपंगत्व आणि सेरेब्रल पाल्सी बाबत कार्यक्षमता कमी होण्याच्या मर्यादेपर्यंत किमान (४०% दिव्यांग) असेल अशा उमेदवारांसाठी परिक्षेच्या प्रती तास २० मिनिटे अधिक वेळ अनुज्ञेय असेल.

मदतनीस वापरणाऱ्या दिव्यांग उमेदवारांसाठी सूचना —

दृष्टिहीन उमेदवार आणि उमेदवार ज्यांच्या लेखनाच्या गतीवर कोणत्याही कारणास्तव कायमस्वरूपी प्रतिकूल परिणाम होत आहे, ते ऑनलाइन परिक्षेदरम्यान त्यांच्या स्वतःच्या मदतनीसाचा, खाली दिलेल्या मर्यादेच्या अधीन राहून वापर करू शकतात.

उमेदवारांनी अर्ज सादर करतेवेळी मदतनीसाच्या मदती विषयी नोंदणी केली आहे व ज्यांना परीक्षेच्या दिवशी मदतनीसाची मदत घेणेस अनुमती देण्यात आली आहे, अशा उमेदवारांना व सर्व अल्पदृष्टी उमेदवारांना पेपर सोडविण्यासाठी प्रत्येक तासाला २० मिनिटे अतिरिक्त वेळ दिला जाईल. तथापि अशा उमेदवाराने परीक्षेच्या वेळी किमान ४०% अपंगत्व असल्याबाबतचे मूळ प्रमाणपत्र व त्याची साक्षांकित छायांकित प्रत सोबत आणणे आवश्यक आहे.

१. परीक्षेपूर्वी ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या उमेदवाराला त्याच्या/तिच्या स्वखर्चाने स्वतःच्या मदतनीसाची व्यवस्था करावी लागेल.
२. मदतनीस कोणत्याही शैक्षणिक प्रवाहातील असू शकतो. तथापि, विशेष तज्ञ अधिकार्यांच्या पदांसाठी मदतनीस हा त्या पदासाठी विहित केलेल्या शैक्षणिक प्रवाहातील नसावा. तसेच सदर मदतनीसाची शैक्षणिक पात्रता ही उमेदवाराच्या पदाच्या आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेच्या कमीत कमी, एक स्तर कमी असावी.
३. उमेदवाराने नेमलेला मदतनीस हा त्याच परीक्षेसाठी उमेदवार नसावा. प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वरील नियमांचे उल्लंघन आढळून आल्यास, उमेदवार आणि मदतनीस या दोघांची उमेदवारी रद्द केली जाईल. परीक्षेत मदतनीसाच्या सेवांसाठी पात्र असलेल्या आणि वापरू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी काळजीपूर्वक अर्ज करताना सूचित केले पाहिजे. त्यानंतरची कोणतीही विनंती स्वीकारली जाणार नाही.
४. एका उमेदवारासाठी मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीस दुसऱ्या उमेदवारासाठी मदतनीस म्हणून काम करता येणार नाही.

५. उमेदवार आणि मदतनीस या दोघांनाही उचित हमीपत्र द्यावे लागेल की, मदतनीसाने वर नमूद केलेल्या मदतनीसासाठी सर्व विहित पात्रता निकषांची पूर्तता केली आहे. पुढे जर नंतर असे आढळून आले की, त्याने/तिने ठरवून दिलेली कोणतीही पात्रता निकष पूर्ण केले नाहीत किंवा भौतिक तथ्ये दडवली आहेत, तर सदर उमेदवाराची उत्तर पत्रिका विचारात घेतली जाणार नाही व त्याची उमेदवारी रद्द केली जाईल.
६. जे उमेदवार मदतनीसाचा वापर करतात त्यांना परिक्षेच्या विहित वेळेच्या प्रत्येक तासाला २० मिनिटे अधिक वेळ अनुज्ञेय राहिल.
७. मदतनीसाने स्वतःहून उत्तर देऊ नये. असे कोणतेही वर्तन आढळल्यास उमेदवारास परिक्षा देणेपासून रोखले जाईल व त्याची उमेदवारी रद्द केली जाईल.
८. फक्त सवलतीच्या वेळेसाठी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांनाच अशी परवानगी दिली जाईल कारण उमेदवारांना दिलेला सवलतीचा वेळ प्रणालीवर आधारित असेल. जर त्यांनी / तिने त्यासाठी नोंदणी अर्ज केला नसेल तर चाचणी आयोजित करणाऱ्या यंत्रणेला अशी सवलत देणे शक्य होणार नाही. सवलतीच्या वेळेसाठी नोंदणी अर्ज न केलेल्या उमेदवारांना अशा सवलतींना परवानगी दिली जाणार नाही.
९. परिक्षेदरम्यान, कोणत्याही टप्प्यावर, मदतनीस स्वतंत्रपणे प्रश्नांची उत्तरे देत असल्याचे आढळल्यास, परिक्षा सत्र समाप्त केले जाईल आणि उमेदवाराची उमेदवारी रद्द केली जाईल. तसेच परिक्षेनंतर लिखित प्रश्नांची स्वतंत्रपणे उत्तरे दिल्याचा अहवाल जर चाचणी प्रशासक कर्मचाऱ्यांकडून दिला गेला तर अशा उमेदवारांची उमेदवारी देखील रद्द केली जाईल.

अनाथ आरक्षण:-

१. अनाथ व्यक्तीचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक: अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार राहिल.
२. अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे, त्या प्रवर्गातून करण्यात येईल.
३. प्रस्तुत पदासाठी अर्जाद्वारे अनाथ आरक्षणाचा दावा केलेल्या उमेदवारांनी दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सुधारित नमुन्यातील अनाथ प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आयोगाकडून निश्चित करण्यात येणाऱ्या विहित कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहिल. अन्यथा अनाथ आरक्षणाचा दावा विचारात घेतला जाणार नाही.
४. अनाथ व्यक्तीसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येच्या १% असतील.
५. महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३, दि.२० ऑगस्ट, २०१९ अन्वये अनाथ संवर्गामधील उमेदवारांना मागासवर्गीय प्रमाणे वय व फी मध्ये सवलत देण्यात येईल.
६. महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३, दि.०६ एप्रिल, २०२३ अन्वये, अनाथ प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागा संस्थात्मक व संस्थाबाह्य प्रवर्गास विभागून देण्यात येतील.

विशेष सूचना:

१. पनवेल महानगरपालिकेस सादर करण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे / अभिलेखे ही महानगरपालिकेच्या अभिलेखाचा भाग होतील व शासकीय नियमानुसार वापरण्यात येतील.
२. जर एखाद्या उमेदवाराने भरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा अनुचित माध्यमाचा अवलंब केल्याचे किंवा तोतया व्यक्तीची व्यवस्था केल्याचे आढळल्यास त्याला निवडीतून अपात्र ठरविण्यात येईल.

३. मध्यस्थ / ठग / पनवेल महानगरपालिकेत संबंध असल्याचे भासविणाऱ्या व्यक्ती, यांच्या गैरमार्गाने नोकरी मिळवून देण्याच्या आश्वासनापासून सावध राहण्याच्या उमेदवारांना सूचना देण्यात येत आहेत.
४. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांबाबत उमेदवारांस काही हरकत असल्यास प्रति प्रश्न रु.१००/- इतके शुल्क आकारले जाईल.
५. वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये पार पडणाऱ्या परिक्षेमधील प्रश्नपत्रिका वेगवेगळ्या असतील. अशा वेळी परिक्षार्थींची संख्या विचारात घेऊन परीक्षा एकापेक्षा अनेक सत्रांत पार पाडावयाची झाल्यास भिन्न प्रश्नपत्रिकांच्या काठिण्य पातळीचे समानीकरण (Normalization) करण्यात येईल व त्यासाठी Mean Standard Deviation Method या सूत्र पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल.
६. परीक्षे संबंधी / प्रतिक्षा यादी / कागदपत्रे तपासणी बाबत / नियुक्ती आदेश याबाबतची माहिती केवळ SMS/Email द्वारे कळविण्यात येईल. कोणताही पत्र व्यवहार पोष्टा मार्फत / पत्त्यावर केला जाणार नाही.

सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :-

१. नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस खालील अर्हता/ परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहिल:-

(एक) जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय / व्यावसायिक परिक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार विभागीय / व्यावसायिक परिक्षा

(दोन) हिंदी आणि मराठी भाषा परिक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्ती अगोदर परिक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर ती परिक्षा

(तीन) वैद्यकीय क्षेत्रातील निवड झालेल्या उमेदवारांची महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम १९६५ अंतर्गत नोंदणी झाली असणे आवश्यक आहे किंवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद कायदा १९५६ अंतर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नोंदवहीत उमेदवारांच्या नावाचा समावेश असणे आवश्यक राहिल.

(चार) अग्निशमन व सुरक्षा सेवेसंबंधी असणारी आवश्यक शारीरिक चाचणी उमेदवारास पात्र करावी लागेल.

(पाच) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५७/का.२८, दि.३० मे, २०२३ अन्वये, शासन सेवेत पुनर्नियुक्त माजी सैनिक उमेदवारांना गट क संवर्गातील ज्या पदांसाठी टंकलेखन अर्हता आवश्यक आहे अशा सर्व पदांवर नियुक्त होणाऱ्या माजी सैनिक कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत व २ संधीत या विहित मुदतीत टंकलेखन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल. तथापि सदर मुदतीत टंकलेखन प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याची पुढील वेतनवाढ रोखण्यात येईल.

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-परिवी-२७१४/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२ जून २०२१ अन्वये विहित कार्यपध्दतीनुसार परिवीक्षा धोरणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (सन १९४९ चा मुंबई अधिनियम क्र.५९) मधील नियम ५३, ५४ व अनुसूची ड मधील प्रकरण ३ च्या अधिन राहून सदरची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

दिनांक: १२/०७/२०२३
ठिकाण: पनवेल

सही/-
(गणेश देशमुख)
आयुक्त तथा प्रशासक
पनवेल महानगरपालिका